कार्यालय : मध्याह्न भोजन योजना समिति, जमुई।

दिनांक 20.06.2020 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जमुई की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिला स्तरीय संवेदक चयन सह अवधि विस्तार की बैठक की कार्यावाही।

उपस्थिति पंजीनुसार

2. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना जमुई के द्वारा बताया गया कि जमुई एवं झाझा प्रखण्ड के संवेदकों के कार्यकाल एकरारनामा के अनुसार 31 मार्च, 2020 को समाप्त हो चुका है। साथ ही गिद्धौर एवं चकाई प्रखण्ड के संवेदकों का कार्यकाल क्रमशः 17 अगस्त, 2020 व 12 दिसम्बर, 2020 को एकरारनामा के अनुसार दो वर्ष पूर्ण हो रहा है। उनका चयन नवीन विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में किया गया है। नये विभागीय दिशा–निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष पूर्ण होने से पहले नये सीरे से संवेदक का चयन किया जाए।

3. चूँकि उक्त दो प्रखण्ड यथा गिद्धौर एवं चकाई के संवेदकों का कार्यकाल लगभग विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पूर्ण होने वाला है ऐसे में एक साथ चारों प्रखण्ड की निविदा निकाली जा सकती है। गिदौर एवं चकाई प्रखण्ड के संवेदक का कार्यकाल समाप्त होने पर नवीन चयनित संवेदकों से कार्य लिया जा सकता है।

4. उक्त के आलोक में जिला स्तरीय संवेदक चयन सह अवधि विस्तार समिति के द्वारा चार प्रखण्ड यथा गिद्धौर, चकाई, जमुई व झाझा के निविदा निकालने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया।

5. सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

जिला समन्वयक म0भो0यो0, जमुई	जिला कार्यक्रम पदा0 म0भो0यो0, जमुई	जिला आपूर्ति पदा0 जमुई	जिला शिक्षा पदा0 जमुई	जिला पदाधिकारी0 जमुई

ज्ञापांक 357 जमुई, दिनांक 23/06/2020

प्रतिलिपि :– निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समन्वयक म0भो0यो0, जमुई	जिला कार्यक्रम पदा0 म0भो0यो0, जमुई	जिला आपूर्ति पदा0 जमुई	जिला शिक्षा पदा0 जमुई	जिला पदाधिकारी जमुई

By Email/Hand

शिक्षा विभाग
मध्याह्न भोजन योजना समिति
(Email- mdmjamui@gmail.com)

सूचना

संचिका संख्या– म0भो0यो0(03)01 / V / 2020–376 जमुई, दिनांक 29/06/2020

............../ दिनांक 20.06.2020 को जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जमुई की अध्यक्षता में मध्याह्न भोजन योजना के तहत जिला स्तरीय चयन सह अवधि विस्तार समिति की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें गिद्धौर एवं चकाई प्रखण्ड के संवेदकों का कार्यकाल क्रमशः 17 अगस्त, 2020 व 12 दिसम्बर, 2020 को एकरारनामा के अनुसार दो वर्ष पूर्ण हो रहा है। उनका चयन नवीन विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में किया गया है। नये विभागीय दिशा–निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि दो वर्ष पूर्ण होने से पहले नये संवेदक का चयन किया जाए।

गिद्धौर एवं चकाई प्रखण्ड के संवेदकों का कार्यकाल लगभग विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में पूर्ण होने वाला है ऐसे में एक साथ चारों प्रखण्ड की निविदा निकाली गई है। गिद्धौर एवं चकाई प्रखण्ड के संवेदक का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त ही नवीन चयनित संवेदकों से कार्य लिया जाएगा। शेष यथावत रहेगा।

अतः उपरोक्त सूचना निविदा संख्या 358 दिनांक 23.06.2020 में संशोधित समझा जाय। शेष यथावत रहेगा।

चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त है।

29/6

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
मध्याह्न भोजन योजना,
–सह–सदस्य–सचिव–
जिला चयन समिति, जमुई।

बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति, ... ।
संवेदन चयन हेतु आवेदन–सह–स्वघोषणा प्रत्र।

हाल ही का खीचा हुआ एक रंगीन अभिप्रमाणित फोटोग्राफ (हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन एवं आधा भाग फोटोग्राफ पर)

1. आवेदित प्रखंड का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम :– ....
3. आवेदक के पिता / पति का नाम :– ....
4. उम्र (जन्म तिथि) :– ....
5. दूरभाष / मोबाईल संख्या :– ....
6. ईमेल पता (अनिवार्य) :– ....
7. स्थायी पता :– ....

   ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –....................................

   प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

   पिन कोड– ....
8. पत्राचार का पता :–..

   ग्राम– .... पोस्ट– .... थाना –....................................

   प्रखण्ड – .... जिला – .... राज्य– ....

   पिन कोड– ....
9. डिमांड ड्राफ्ट संलग्न (हाँ / नहीं) :– .... ।

डिमांड ड्राफ्ट जारी करने वाले बैंक का नाम एवं पता	डिमांड ड्राफ्ट संख्या	डिमांड ड्राफ्ट जारी करने की तिथि	डिमांड ड्राफ्ट की राशि

10. मूल चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न (हाँ / नहीं) :– .... ।

चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पता	चरित्र प्रमाण पत्र संख्या	चरित्र प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि	तीन माह के अंदर का है या नहीं

11. पैन कार्ड की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न (हाँ / नहीं) :– .... ।
12. तीन माह के अंदर का दो रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो संलग्न (हाँ / नहीं) :– .... ।

    (एक अनुलग्नक के रूप में एवं एक आवेदन प्रपत्र के निर्धारित स्थान पर)

मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत कार्य अनुभव (हाँ/नहीं) :– ....।

पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना मे कार्य किया गया है।	कब से कब तक कार्य किया गया है, तिथि	कार्य संतोषजनक/असंतोषजन	इस हेतु प्रमाण पत्र जारी करने वाले का नाम एवं पदनाम	संबंधित प्रमाण पत्र
				पृ०सं० ....

13. कुल एकरारनामा वाले वाहनो की संख्या :–

निजी वाहन		अन्य वाहन		कुल वाहन	

क्रं० सं०	वाहन मालिक का नाम	वाहन का प्रकार	वाहन निबंधन संख्या	टैक्सटोकन की अंतिम तिथि	बीमा की अंतिम तिथि	परमिट की अंतिम तिथि	संबंधित वाहन के कागजात/अभिलेख
1.							पृ.सं. .... से .... तक
2.							पृ.सं. .... से .... तक
3.							पृ.सं. .... से .... तक
4.							पृ.सं. .... से .... तक
5.							पृ.सं. .... से .... तक
6.							पृ.सं. .... से .... तक
7.							पृ.सं. .... से .... तक
8.							पृ.सं. .... से .... तक

14. मैं किसी प्रकार का जन प्रतिनिधि नहीं हूँ।

15. मेरे नाम से जनवितरण प्रणाली की दुकान नहीं है।

16. परिवार के किसी सदस्य के नाम से जन वितरण प्रणाली की दुकान है (हाँ/नहीं) :– ....।
(यदि हाँ तो, किनके नाम से .... एवं आपसे संबंध ....)

17. किसी भी प्रकार का आपराधिक/न्यायिक मामला है (हाँ/नहीं) :– ....।

18. चयनोपरांत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, ... के साथ सभी अनुमान्य शर्तो के अनुरूप एकरारनामा करूँगा (हाँ/नहीं) :– ....।

19. अनुलग्नक (कुल पृष्ठों की संख्या) :–
(क) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (उपर से नीचे तक) :– ....।
(ख) आवेदन प्रपत्र सहित कुल पृष्ठो की संख्या (नीचे से उपर तक) :– ....।

"मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त सभी सूचनाएँ एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी कागजात एवं अभिलेख मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। यदि अंकित सूचनाएँ गलत एवं संलग्न कागजात/अभिलेख गलत पाई जाती है तो विभाग मेरा चयन रदद् करते हुए मुझ पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा"।

स्थान :– ....

दिनांक :– ....

आवेदक का नाम/हस्ताक्षर
एवं पूर्ण पता